

FORM 21C

(See rule 64)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** from **148-REODAR(SC)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—


SHREE JAGASI RAM

VILLAGE-RANADI, POST-REODAR, TEH.-REODAR, DIST-SIROHI (RAJ)

sponsored by . **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : **SIROHI**

Date : **11-12-2018**


(**SHAILENDRA SINGH**)
RETURNING OFFICER
148-REODAR(SC)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

148-रेवदर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि -


श्री जगसी राम

मु.रानाडी, पो.रेवदर, तह. रेवदर, जिला सिरौही (राज.)

भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : सिरौही

तारीख : 11.12.2018


रिश्तेदार अधिकारी
(पु.डी.एम.)
स्टिनिंग अधिकारी
(148-रेवदर)
148-रेवदर (अ.जा.)